न्यूज़ टुडे

भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की

- भारत द्वारा जारी आर्कटिक नीति का शीर्षक है– **"भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण** (India and the Arctic: Building a Partnership for Sustainable Development)"।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति जारी की गयी है। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है।
- **इस नीति के छह स्तंभ हैं:**

आर्कटिक नीति के छह स्तंभ					
भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना	**जलवायु और पर्यावरण संरक्षण**	**आर्थिक और मानव विकास**	**परिवहन और कनेक्टिविटी**	**गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	**राष्ट्रीय क्षमता निर्माण**
• **हिमाद्री** में मौजूद **अनुसंधान केंद्र** को मजबूत बनाना। • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **आर्कटिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं** के अनुरूप अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। • **जियो इंजीनियरिंग, कोल्ड बायोलॉजी, और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी** जैसे विषयों में मौजूदा विशेषज्ञता को दिशा देना और उनका इस्तेमाल करना।	• मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में मदद करने तथा अर्थ सिस्टम मॉडलिंग को बेहतर बनाने के लिए **भागीदारों के साथ जुड़ना।** • **आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी प्रबंधन** में योगदान करना। • **आर्कटिक–मीथेन उत्सर्जन** से निपटने के लिए पर्यावरण संबंधी प्रबंधन में योगदान देना।	• प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के **अन्वेषण के अवसरों की तलाश** करना। • आर्कटिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश के **अवसरों की पहचान** करना।	• प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले भागीदारों के साथ **पोत निर्माण** के क्षेत्र में सहयोग करना। • आर्कटिक क्षेत्र से आवागमन में लगे पोतों के लिए चालक दल के रूप में **भारतीय नाविकों हेतु अवसरों को बढ़ावा** देना।	• आर्कटिक क्षेत्र की **जटिल गवर्नेंस व्यवस्था** के संबंध में समझ को बेहतर करना। • आर्कटिक से संबंधित **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संधि फ्रेमवर्क** में सक्रिय रूप से भाग लेना।	• **संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता को मजबूत बनाना।** • आइस–क्लास स्टैण्डर्ड वाले पोतों के निर्माण में **स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना।**

- **आर्कटिक का महत्व:**
  - आर्कटिक क्षेत्र में परिवर्तन, विशेष रूप से आर्कटिक की हिम का पिघलना, राष्ट्रीय विकास के लिए **अत्यधिक विघटनकारी** साबित हो सकता है।
  - **ध्रुवीय** क्षेत्र से जुड़े अध्ययन और **हिमालयी क्षेत्र** के बीच समन्वय आवश्यक है।
  - आर्कटिक क्षेत्र में हिम के पिघलने से ऊर्जा संसाधनों की खोज, खनन, पोत–परिवहन आदि जैसे **अवसरों के नए द्वार** खुलेंगे।
  - आर्कटिक परिषद के 13 पर्यवेक्षक (Observer) देशों में भारत भी शामिल है।

भारत के आर्कटिक अनुसंधान का इतिहास

- **वर्ष 1920:** पेरिस में 'स्वालबार्ड संधि (Svalbard Treaty) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **वर्ष 2007:** आर्कटिक के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान भेजा गया।
- **वर्ष 2008:** स्वालबार्ड के न्यू एल्सुंड (Ny Alesund) में हिमाद्रि नामक रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई।
- **वर्ष 2014:** कोंग्सफजॉर्डन में मल्टी–सेंसर मूअर्ड ऑब्जर्वेटरी 'इंडआर्क' (IndArc) की स्थापना की गई।
- **वर्ष 2016:** स्वालबार्ड के न्यू एल्सुंड में **ग्रुवेबडेट लैब** की स्थापना की गई।

एक अध्ययन के अनुसार, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौत के मामलों में 13% की कमी की है और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है

- उज्ज्वला कार्यक्रम के एक स्वतंत्र प्रभाव आकलन (impact assessment) से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:
  - PMUY के चलते, वर्ष 2019 में **कम–से–कम 1.8 मिलियन** टन PM2.5 उत्सर्जन में **कटौती** हुई है।
  - इसके अभाव में **घरेलू खाना पकाने के लिए बायोमास को जलाया जाता, जो बाहरी वायु प्रदूषण में 30–40 प्रतिशत का योगदान** कर सकता था।
- PMUY **के बारे में:**
  - इसे वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसे उन **ग्रामीण और वंचित परिवारों को एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने के लिए आरंभ किया** गया था, जो खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर के उपले या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे।
  - इसका उद्देश्य **आंतरिक वायु प्रदूषण** (Indoor Air Pollution) **के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को कम करना** है।
  - **उज्ज्वला 2.0 को वर्ष 2021 में आरंभ** किया गया था। इसका उद्देश्य उन **कम आय वाले परिवारों को डिपॉजिट–फ्री एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करना** है, जिन्हें इस योजना के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था।
- आंतरिक (इनडोर) वायु प्रदूषण के बारे में:
  - इसका आशय घरों के भीतर (इनडोर) वायु के **रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रदूषण** से है।
  - "इनडोर प्रदूषकों के कारण होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैक्ट–शीट" के अनुसार, इसके चलते **सालाना 38 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है।**

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लिए पात्रता मानदंड

- **एक गरीब परिवार की ऐसी वयस्क महिला, जिसके घर में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं है,** उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र होगी।
- **हालांकि, लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:**
  - SC/ST परिवार से संबंधित लाभार्थी; प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले लाभार्थी; वनवासी समुदाय व अति पिछड़े वर्गों के लाभार्थी; चाय बागान में काम करने वाले जनजाति समुदाय से जुड़े लाभार्थी; नदी द्वीपों में रहने वाले वंचित समुदाय के लाभार्थी, आदि।
  - आवेदक को SECC-2011 के तहत वंचन (deprivation) श्रेणी में शामिल होना चाहिए।
    - यहाँ SECC-2011 का आशय **सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना** (SECC), 2011 से है।
  - यदि गरीब परिवार की कोई वयस्क महिला, उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती है, तो वह **गरीब परिवार के अंतर्गत लाभार्थी होने का दावा** कर सकती है। इसके लिए उसे 14 बिंदुओं वाला एक घोषणा–पत्र जमा कराना होगा।

- कुछ प्रमुख इनडोर प्रदूषक (Indoor pollutants) हैं: नाइट्रस ऑक्साइड (NOx), सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन (O3), कार्बन मोनोआक्साइड (CO), वाष्पशील और अर्ध–वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (Volatile and semi-volatile Organic Compounds: VOCs), कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter: PM), रेडॉन, सूक्ष्मजीव, आदि।
- **प्रभाव:** इससे स्ट्रोक, इस्केमिक हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, आदि का खतरा बढ़ जाता है।
- **इनडोर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कदम:**

■ उन्नत चूल्हा अभियान,	■ सोलर कुकर को बढ़ावा,
■ राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव पहल,	■ नीरधुर (Neerdhur) नामक खाना पकाने वाला स्टोव, आदि।

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की आपदा प्रबंधन योजना (DMP–MoPR) जारी की गई

- **आपदा प्रबंधन योजना** (Disaster Management Plan: DMP) **के उद्देश्य:**
  - पंचायतों के बीच **जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन** विकसित करना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में **आपदा प्रबंधन उपायों** को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ जोड़ने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना।
  - **समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं** की परिकल्पना, योजना और कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करना।
- DMP–MoPR **की विशेषताएं:**
  - प्रत्येक भारतीय गाँव में एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (VDMP) और प्रत्येक पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी।
  - इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009; और NDMA द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को शामिल किया गया है। साथ ही, इसमें कई नवाचार भी शामिल हैं।
  - पंचायती राज संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के पदाधिकारियों आदि सहित सभी हितधारक योजना के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में भाग लेंगे।

विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन का संगठनात्मक ढांचा

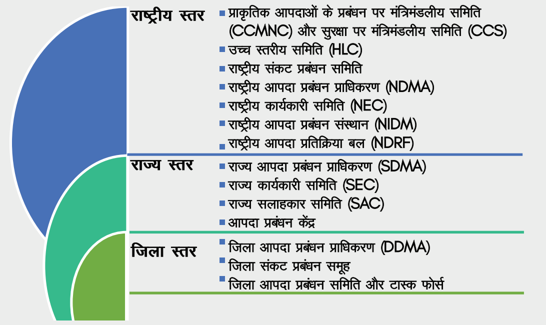

- आपदा प्रबंधन में स्थानीय सरकार और समुदाय का महत्व:
  - **स्थानीय ज्ञान और संसाधनों** का उपयोग कर तथा इनके आधार पर स्थानीय लोगों की क्षमता में सुधार कर, आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
  - पंचायती राज संस्थाएं, आपदाओं के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर करने में सहायक हो सकती हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया समितियों और बचाव दल का गठन करके, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आजीविका के अलग–अलग स्रोतों की व्यवस्था कर इसमें मदद कर सकती हैं।

एक संसदीय समिति द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) निष्क्रिय हो चुका है

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति **की एक रिपोर्ट के अनुसार:**
  - पिछले चार वर्षों में NCST ने **संसद को एक भी रिपोर्ट नहीं सौंपी** है।
  - NCST की कई अन्य रिपोर्ट्स लंबित हैं। इनमें शामिल हैं:
    - **जनजातीय आबादी पर इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना (आंध्र प्रदेश) के प्रभाव का अध्ययन; और**
    - **राउरकेला इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर एक विशेष रिपोर्ट।**
- **इस समिति की प्रमुख टिप्पणियां:**
  - कार्यबल की कमी: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) के अनुसार, **आवेदकों की कमी के कारण** NCST **में भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गयी है। ऐसा पात्रता के उच्च मानदंडों के निर्धारण** के कारण हुआ है।
  - **बजट की कमी:** वित्त वर्ष 2021–22 में MoTA के लिए **बजटीय आवंटन** 7,084.07 **करोड़ रुपये** से घटाकर 6,126.46 करोड़ रुपये कर दिया गया। ऐसा संशोधित अनुमान (Revised Estimate: RE) चरण के दौरान किया गया।
    - ज्ञातव्य है कि MoTA, वित्त वर्ष 2020–21 में **संशोधित अनुमान के समय आवंटित राशि को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाया** था।
    - MoTA **ने राज्य सरकारों** के लिए जो राशि जारी की थी, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया था।
- **इस समिति की प्रमुख सिफारिशें:**
  - आयोग के लिए **बजटीय आवंटन की समीक्षा करने की आवश्यकता** है, ताकि धन की कमी के कारण इसका कामकाज बाधित न हो।
  - आवंटित धन के पूर्ण उपयोग के लिए **राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय** की आवश्यकता है।

National Commission for Scheduled Tribes
Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) **के बारे में**

- NCST **की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338** में संशोधन करके की गई थी।
- **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** के माध्यम से एक नया **अनुच्छेद** 338A जोड़कर इसकी स्थापना की गयी थी।
- **कार्य:** आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
  - संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या सरकारी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए **सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना।**
  - अनुसूचित जनजातियों के **अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना,**
  - **अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना** और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना,
  - अनुसूचित जनजातियों के संबंध में **राष्ट्रपति** द्वारा सौंपे गए **अन्य कार्यों को पूरा करना।** राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाये गये कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए व नियम बनाकर, आयोग को ऐसे कार्य सौंपता है।
- NCST को **दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां दी गई हैं।** आयोग इस शक्ति का प्रयोग, अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय करता है।

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म उद्योग को भी "PoSH अधिनियम" लागू करना चाहिए

- केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से **महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन** हेतु उपाय करने के लिए कहा है। ऐसे उपाय **"कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013"** के अनुरूप होने चाहिए।
  - **आमतौर पर इसे "PoSH अधिनियम"** के रूप में भी जाना जाता है। इस कानून को वस्तुतः कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने, उन्हें प्रतिबंधित करने और उनसे निपटने के लिए पारित किया गया था। इसे कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य भी पारित किया गया था।
- इस कानून की मुख्य विशेषताएं:
  - यह **महिलाओं** को उनके कार्यस्थल पर **यौन उत्पीड़न से बचाने** का प्रयास करता है।
  - यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और **शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करता है।**
  - **इसमें "पीड़ित महिला" की परिभाषा बहुत व्यापक है।** इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को शामिल करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है। इसमें महिलाओं की आयु या रोजगार की स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। **संगठित या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत, सार्वजनिक या निजी रोजगार से जुड़ीं और क्लाइंट, ग्राहक या घरेलू कामगार** सहित सभी महिलाओं को इसमें शामिल कर उन्हें सुरक्षा दी गयी है।
  - इस कानून के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक **निजी या सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति** (Internal Complaints Committee: ICC) **का गठन करना अनिवार्य है।**
  - ICC को समन जारी करने, खोज कार्यों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, आदि के लिए एक दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई हैं।

विशाखा दिशा–निर्देश:

- ये दिशा–निर्देश **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (वर्ष 1997)** में **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा तैयार किए गए थे। इससे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करना अनिवार्य हो गया।
- **ये दिशा–निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। ये यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हैं। इनके अंतर्गत संस्थानों पर तीन प्रमुख दायित्व लागू किये गए हैं**– निषेध (prohibition), रोकथाम (prevention), निवारण (redress)।
- इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संस्थानों को एक **"शिकायत समिति"** का गठन करना होगा, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखेगी।
- वर्ष 2013 के PoSH **अधिनियम ने इन दिशा–निर्देशों का और विस्तार** किया है।

अन्य सुर्खियां

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC)	• OIC की **विदेश मंत्री स्तरीय बैठक** इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। इस बैठक में शामिल होने के लिए OIC ने हुर्रियत प्रमुख को भी आमंत्रित किया है। यही कारण है कि भारत ने OIC की आलोचना की है। • **OIC के बारे में:** ➤ यह संयुक्त राष्ट्र के बाद **दूसरा सबसे बड़ा अंतर–सरकारी संगठन** है। ➤ यह **मुस्लिम जगत के हितों की सुरक्षा और इसके लिए रक्षोपाय (सेफगाड्स) करने का प्रयास करता है। इसके लिए** OIC, **विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।** ➤ **सदस्य:** विश्व के 57 देश इसके सदस्य हैं। ➤ **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय सऊदी अरब के **जेद्दा** में है। ➤ भारत इसका **सदस्य नहीं है।**
जैविक और विषाक्त हथियार अभिसमय (Biological and Toxin Weapons Convention: BTWC)	• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में **भारत ने BTWC का समर्थन करते हुए कहा कि** इसे अक्षरशः लागू किया जाए। • **BTWC या जैविक और विषाक्त हथियार संधि (BWC) के बारे में:** ➤ यह **पहली ऐसी बहुपक्षीय संधि है,** जिसमें स्पष्ट रूप से **सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित किया गया है।** ➤ यह संधि जैविक एजेंट्स तथा विभिन्न "प्रकार और मात्रा" के विषाक्त पदार्थों के **विकास, भंडारण, उत्पादन या हस्तांतरण को प्रतिबंधित** करती है। ये ऐसे एजेंट्स या पदार्थ हैं जिनका **सुरक्षात्मक या शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई औचित्य नहीं** है। ➤ सदस्य: 183 (भारत सहित)
 ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DCI) ने ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए {Dredging Corporation of India (DCI) signs the historic Ship Building Agreement}	• DCI और कोचीन शिपयार्ड ने **भारत के पहले घरेलू रूप से विनिर्मित व उच्च क्षमता वाले ड्रेजर के निर्माण** के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ➤ यह **कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती करने में मदद करेगा।** • DCI, **ड्रेजिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है। यह बड़े बंदरगाहों, छोटे बंदरगाहों, भारतीय नौसेना आदि के लिए ड्रेजिंग तथा सहायक सेवाएं** प्रदान करता है। • **ड्रेजिंग** वस्तुतः **नदी निकायों से गाद निकालने या तटों या तल से मिट्टी, कीचड़ और अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया है।** ➤ वर्तमान में, हमारी ड्रेजिंग आवश्यकता का 70 प्रतिशत हिस्सा **मेंटेनन्स ड्रेजिंग** (ड्रेजिंग वाले जल निकायों को बनाए रखने) पर खर्च हो जाता है। शेष हिस्सा **कैपिटल ड्रेजिंग** (नई परियोजनाओं के लिए गाद निकालने) पर खर्च होता है।
विश्व व्यापार संगठन का "बाली अंतरिम शांति खंड" {Bali interim Peace Clause of World Trade Organisation (WTO)}	• संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में भारत के उच्च चावल निर्यात पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अमेरिका ने WTO के मंच पर यह आरोप लगाया है कि भारत ने सब्सिडी की सीमा को पार करने के लिए **"बाली इंटरिम पीस क्लॉज़" का दुरूपयोग** किया है। • WTO का यह पीस क्लॉज़, **एक विकासशील देश के अनाज खरीद कार्यक्रमों को** सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में WTO के **दूसरे सदस्यों से कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।** • **"पीस क्लॉज़" को बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (वर्ष 2013)** में स्वीकार किया गया था। • "पीस क्लॉज़" के तहत, **विकासशील देश** अपने किसानों को WTO द्वारा **निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी** प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी देने पर भी WTO के कृषि समझौते के तहत, विकासशील देश को किसी भी विवाद में नहीं घसीटा जा सकता है।
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (Land Port Authority of India: LPAI)	• हाल ही में, LPAI का **10वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया।** • LPAI, **गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है।** • इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्गो एवं यात्रियों की निर्बाध और कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए **अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।** • इसका समग्र उद्देश्य **परिवहन समय और व्यापारिक लेन–देन की लागत को कम करना है।** इसके उद्देश्यों में क्षेत्रीय व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना भी शामिल हैं।
 UPI लाइट (UPI Lite)	• **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI लाइट नामक एक नई UPI** सेवा शुरू की है। • यह सुविधा वॉलेट में डाले गए पैसे के माध्यम से **बिना इंटरनेट कनेक्शन के और तीव्रता से** रियल टाइम में छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। ➤ **भुगतान की ऊपरी सीमा:** 200 रुपये ➤ **UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा:** 2,000 रुपये • इससे **QR कोड–आधारित भुगतान भी** संभव है। वर्तमान में 123Pay या USSD–आधारित भुगतान विधियों से QR कोड–आधारित भुगतान संभव नहीं है।
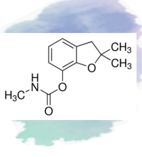 **कार्बोफ्यूरान (Carbofuran)**	• हाल ही में, **असम में 95 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों** (नियरली थ्रेटेंड) और एक **स्टेपी ईगल** की मौत का मामला सामने आया था। इसके लिए कार्बोफ्यूरान के कारण हुई कीटनाशक विषाक्तता को जिम्मेदार ठहराया गया है। ➤ **हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों का पर्यावासः** पश्चिमी चीन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान; भारत, नेपाल और भूटान (हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में); मध्य चीन और मंगोलिया। • **कार्बोफ्यूरान के बारे में:** ➤ यह एक **कीटनाशक** है। इसका उपयोग **व्यापक रूप से विभिन्न कृषि फसलों पर कीड़ों और नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।** ➤ कृषि और गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए **इसका व्यापक उपयोग** पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार रहा है।

 ग्रीन ट्रायंगल (Green triangle)	• "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के हिस्से के रूप में, **मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो** में महात्मा गांधी के नाम पर एक **ग्रीन ट्रायंगल** का अनावरण किया गया है। ➢ इस पट्टिका में **'ग्रीन या हरा' शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने** के लिए गांधीजी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। • यह **उपभोक्तावाद को कम करने, प्रकृति का सम्मान करने** और **सतत विकास** के लक्ष्यों के मामले में गांधीजी के दृष्टिकोण और दर्शन को उजागर करता है। ➢ यह शांति और अहिंसा के उनके मूल्यों के बारे में लोगों में **जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा।**
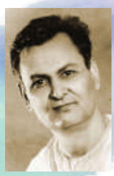 सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व	**राहुल सांकृत्यायन (9 अप्रैल 1893 – 14 अप्रैल 1963)** • बिहार सरकार **नालंदा और विक्रमशिला में मौजूद सैकड़ों मूल बौद्ध पांडुलिपियों का अनुवाद और प्रकाशन करने की प्रक्रिया** में है। जब बख्तियार खिलजी की सेना ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालयों को जलाने का प्रयास किया था तब इन पांडुलिपियों को वहां से हटा दिया गया था। बाद में **राहुल सांकृत्यायन द्वारा इन्हें तिब्बत से भारत वापस लाया गया।** • **योगदान:** ➢ **राहुल सांकृत्यायन, एक यात्री और साहित्यकार थे।** उन्हें **महापंडित** (महान विद्वान) कहा जाता था, क्योंकि वह लगभग 30 भाषाओं को जानते थे। हालांकि, उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी में हैं। ➢ उन्होंने **"मध्य एशिया का इतिहास", "वोल्गा से गंगा"** तथा संस्कृत में तिब्बती भाषा के एक व्याकरण और वर्णों की रचना की। ➢ उन्होंने **धर्मकीर्ति, असंग और सुबंधु** जैसे बौद्ध तर्कशास्त्रियों की **दार्शनिक रचनाओं के संरक्षण और पुनर्निर्माण में अग्रणी योगदान दिया।** ➢ उनकी यात्राओं ने उन्हें यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें **"हिंदी यात्रा साहित्य का जनक"** माना जाता है। • **मूल्य:** मानवतावादी, औपनिवेशिक विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता, आदि। • उन्हें **साहित्य अकादमी (वर्ष 1958) और पद्म भूषण** से सम्मानित किया गया था।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी